संख्या-5/2016/738एस0सी0/18-2-16-105/15

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2016

विषय- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु रू0 25,00,00,000/- (रूपया पचीस करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ।

2- उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- इस आदेश द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्ते निम्नानुसार होंगी:-

- ऋण की वापसी ब्याज सहित 10 वर्ष की अवधि में की जाएगी।
- ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किए जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (साढे ग्यारह प्रतिशत) होगी।
- मूलधन के प्रतिदान की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। मूलधन का प्रतिदान 10 बराबर किश्तों में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- ब्याज की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। ब्याज का ऑगणन शासनादेश जारी होने की तिथि से किया जाएगा। मूलधन का प्रतिदान होने के साथ-साथ मूलधन के घटते शेष पर ब्याज का ऑगणन सम्पूर्ण वर्ष के लिए किया जाएगा।

4- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

5- संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-

(2) चालान संख्या तथा दिनांक-

(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज

(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज

(5) शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का सन्दर्भ

(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

6- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

7- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

8- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

9- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

10- सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 से सम्बद्ध सहकारी चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रखरखाव हेतु भुगतान सम्बन्धी संलग्न मिलवार विवरण के अनुसार व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर -04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-05-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-4/ 111 /दस-16 दिनांक 14 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2016/738(1)एस0सी0/18-2-16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

'kklukn'k la[;k&5@2016@738,l0lh0@18&2&16&105@15 fnukd 14 tqykbZ] 2016 dk lqyXudA

&&&&&&&&&&&&&&&&

m0iz0 lgdkjh phuh feYl la?k fy0 ls lEc) lgdkjh phuh feyksa ds vkQ lhtu ejEer ,oa j[kj[kko gsrq 'kkldh; _.k dk feyokj fooj.kA

d0 l0	phuh fey dk uke	'kklu }kjk Lohdr foRrh; lgk;rk ¼/kujkf'k yk[k :0 esa½
1	vui'kgj	120-00
2	ljlkok	120-00
3	cnk;	160-00
4	fcyklij	110-00
5	chlyij	120-00
6	xtjkyk	120-00
7	dk;ext	100-00
8	ijuij	120-00
9	lkFkk	150-00
10	leh[kMk	120-00
11	frygj	120-00
12	?kklh	120-00
13	egenkckn	120-00
14	ukuikjk	100-00
15	lYrkuij	150-00
16	iok;k	150-00
17	lEi.kkuxj	350-00
18	lfB;ko	150-00
;ksx&		**2500-00**

¼tkxUnz izlkn½
vuq lfpo

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।